समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

(36)

प्र0क्र0 /2017 निगरानी

RR/निगरानी/गुना/भू.रा./2017/2178

मगल्या पुत्र रामलाल जाति भील आयु 73 वर्ष निवासी जलालपुरा (जोडल्या) तहसील चाचोडा जिला गुना म.प्र. । ....आवेदक

विरूद्ध

1. अमर सिंह पुत्र रामलाल जाति भील निवासी जलालपुरा तहसील चाचोडा जिला गुना म.प्र.।
2. हजारीलाल मृतक वैध वारिस--
   1. जसमाल पुत्र हजारीलाल
   2. कालूराम पुत्र हजारीलाल
   3. सुखलाल पुत्र हजारीलाल जाति भील .

निवासीगण जलालपुरा तहसील चाचोडा जिला गुना म.प्र.। ....अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 12-7-17 को प्रस्तुत

12.7.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध तहसीलदार चाचोडा जिला गुना म.प्र. प्रकरण क 79/अ–27/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 28.6.2017 के विरूद्ध निगरानी ।

12/7/17

माननीय महोदय ,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / निगरानी / गुना / भू.रा. / 2017 / 2178

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–8–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेशिका दिनांक 28–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेशिका से तहसीलदार द्वारा मृतक के वारिसानों को अभिलेख पर लेकर उन्हें सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	